सार्वजनिक सूचना

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम बिसरख जलालपुर प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है, जिसके खसरा संख्या–773 की अधिकांश भूमि प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित है, जिस पर अवैध निर्माणकर्ताओं/कॉलोनाईज़रों द्वारा बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया गया है। जिसके स्वामित्व के सम्बन्ध में मौके पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई दावा नही किया गया है। इसलिए ग्राम बिसरख जलालपुर के खसरा संख्या–773 की अधिग्रहित भूमि पर निर्मित बहुमंजिला इमारतों के निर्माणकर्ता/दावेदार/स्वामित्व हेतु प्राधिकरण के वर्क सर्किल–3 के कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों की अवधि में लिखित रूप से सम्पूर्ण साक्ष्यों सहित अपना पक्ष रख सकते हैं। यदि उक्त अवधि में किसी भी निर्माणकर्ता/दावेदार के द्वारा स्वामित्व के सम्बन्ध में अपना पक्ष दिनांक 18.12.2024 तक प्राधिकरण कार्यालय के वर्क सर्किल–3 में लिखित रूप में दर्ज़ नही कराया जाता है तो, उक्त अवधि के उपरान्त किसी भी निर्माणकर्ता/दावेदार का उक्त भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कथन मान्य नही होगा और ग्राम बिसरख जलालपुर के खसरा संख्या–773 की अधिग्रहित भूमि पर अवैध निर्मित बहुमंजिला इमारतों के सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित कर दी जायेगी।

आज्ञा से

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।